

18

राजस्थान सरकार
राजस्व & ग्रुप-6 & विभाग


प्रेषित:- §1§ समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
§2§ समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक:- प. 6§63§राज-6/2002/ 3 जयपुर, दिनांक:- 18/4/02-


परिपत्र :-

विषय:- सरकारी भूमि में बने हुए खिलानाम कुओं के स्वामित्व के संबंध में ।

खिलानाम कुओं के स्वामित्व के मामलों के निस्तारण हेतु राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 4§10§राज-ख/ग्रुप-1/63 दिनांक 4.6.65 जारी किया गया था । जिसमें दिनांक 4.6.65 तक सरकारी भूमि पर निर्मित कुओं का प्रति कुआं फीस के 25/- रुपये भुगतान के पश्चात तहसीलदार द्वारा सनद अथवा पट्टा जारी किये जाने के निर्देश दिए गए थे । दिनांक 25.10.79 के " राजस्थान भू-राजस्व & सिंचाई प्रयोजनार्थ कुर खीदने और पम्पा सिंचिम लगाने के लिए भूमि का आवंटन & नियम, 1979 " के प्रभाव में आने के बाद उक्त नियमों के नियम 12§क§ के अन्तर्गत दिनांक 25.10.79 के पश्चात सरकारी भूमियों पर निर्मित कुओं के आवंटन का प्रावधान है । यह स्थिति स्पष्ट की जाती है कि दिनांक 4.6.65 के पश्चात एवं दिनांक 25.10.79 तक सरकारी भूमियों पर निर्मित कुर भी उक्त नियम, 1979 के नियम 12§क§ के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमितकरण किये जा सकते हैं ।


§ एल० एन० शर्मा §
श्री सन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निबन्धक, राजस्व गण्डल राजस्थान. अज्ञेय को सूचना के प्रेषित है।


श्री सन उप सचिव